

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरण्य



मु0न0 : 124/2020 (2020/00283)

लिलूराम पुत्र अभेराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. अभेराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. महावीर पुत्र अभेराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. भानीराम पुत्र अभेराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. नारायणी पुत्र अभेराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. एसबीआई शाखा छानीबडी जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा तथा जोत विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 व 88 राज0 काश्त0 अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री दिवान सिंह : वादी

निर्णय

दिनांक : 20/9/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा के चक 9 एमआरएन के खाता सं0 3/2 के मु0नं0 60 के किला नं0 21 व 22 प्रत्येक किला की 0.2530 है0, किला नं0 23/1 की 0.1010 है0, मु0नं0 61 के किला नं0 24 व 25 प्रत्येक किला की 0.2530 है0, मु0नं0 72 के किला नं0 4 से 7, 14 से 17, 24 व 25 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 72 के किला नं0 4 से 7, 14 से 17, 24 व 25 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 73 के किला नं0 1 व 2 प्रत्येक किला की 0.2530 है0, किला नं0 3/1 व 8/1 प्रत्येक किला की 0.1010 है0, किला नं0 9 से 12 प्रत्येक किला की 0.2530 है0, किला नं0 13/2 की 0.0760 है0, किला नं0 19 से 22 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 कुल 6.4510 है0 नहरी व वारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें गैरमुमकिन खाला की भूमि भी शामिल है वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 सभी का हिस्सा बहिस्सा बराबर है। प्रतिवादीया सं0 4 नारायणी ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया। इस प्रकार वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि की बाबत दिनांक 23.02.2021 को प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी की गई थी तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार राजस्व भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। जिस पर दावा के पक्षकारान को सुना गया कोई एतराज/आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़

प्रस्ताव चक 9 एमआरएन के खाता सं० 3/2 की कृषि भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. लिलुराम पुत्र अभेराम जाति जाट सा० महाराना खातेदार (राहिन एसबीआई शाखा छानीबडी) के हिस्सा में : चक 9 एमआरएन के मु०नं० 72 के किला नं० 6/1 की 0.074 है०, किला नं० 7/1 की 0.084 है०, किला नं० 14 की 0.253 है०, किला नं० 15 की 0.253 है०, किला नं० 16 की 0.253 है०, किला नं० 17 की 0.253 है०, किला नं० 24 की 0.253 है०, किला नं० 25 की 0.253 है० कुल कित्ता 8 कुलक्षेत्रफल 1.676 है० नहरी
2. अभेराम पुत्र सूरुजाराम जाति जाट सा० महाराना खातेदार (राहिन एसबीआई शाखा छानीबडी) के हिस्सा में : चक 9 एमआरएन के मु०नं० 60 के किला नं० 22 की 0.253 है० बारानी, किला नं० 23 की 0.101 है० बारानी मु०नं० 73 के किला नं० 1 की 0.253 है० नहरी किला नं० 2 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 3 की 0.101 है० नहरी किला नं० 8 की 0.101 है० नहरी, किला नं० 9 की 0.253 है० नहरी किला नं० 10 की 0.253 है० नहरी कित्ता 8 कुल क्षेत्रफल 1.568 है० जिसमें नहरी 1.214 है० बारानी 0.354 है०
3. भानीराम पुत्र अभेराम जाति जाट सा० महाराना खातेदार (राहिन एसबीआई शाखा छानीबडी) के हिस्सा में : चक 9 एमआरएन के मु०नं० 73 के किला नं० 11 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 12 की 0.253 है० नहरी किला नं० 13/2 की 0.076 है० नहरी किला नं० 19 की 0.253 है० नहरी किला नं० 20 की 0.253 है० नहरी किला नं० 21 की 0.253 है० नहरी किला नं० 22 की 0.253 है० नहरी कुल कित्ता 7 कुल क्षेत्रफल 1.594 नहरी
4. महावीर पुत्र अभेराम जाति जाट सा० महाराना खातेदार (राहिन एसबीआई छानीबडी) के हिस्सा में : चक 9 एमआरएन के मु०नं० 60 के किला नं० 21 की 0.253 है० बारानी मु०नं० 61 के किला नं० 24 की 0.253 है० बारानी किला नं० 25 की 0.253 है० बारानी मु०नं० 72 के किला नं० 4 की 0.253 है० नहरी 0.228 है०, गै०मु० खाला 0.025 है० किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० गै०मु० खाला 0.025 है० किला नं० 6/2 की 0.179 है० नहरी किला नं० 7/2 की 0.169 नहरी कित्ता 7 कुल क्षेत्रफल 1.613 है० नहरी 0.854 है० बारानी 0.759 है० खाला 0.050 है०

मु०नं० 72 के किला नं० 6/1 में 0.006 है० आधी दूरी तक मु०नं० 72 के किला नं० 15 में 0.012 है० किला नं० 16 में 0.012 है० किला नं० 25 में 0.012 है० पूर्वी ओर पक्के खाले के चिपते हुए रास्ता स्वीकृत किया जाता है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं० 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त हिस्सा अनुसार पक्षकारान का खाला व लगान अलग कायम किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शकुन्ता R.A.S.)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
उपखण्ड अधिकारी
भद्रा (जिला-हनुमानगढ़)
भद्रा, जिला हनुमानगढ़